



दूरभाष Telephone : 91 - 44 - 24437162, 24910774

फैक्स FAX : 91-44-24455926, 24911589, 24912150

ई-मेल Email : spo@clri.res.in

No: 13(62)/2018/Pur

Date: 03.07.2018

CIRCULAR

Director CSIR- CLRI has been pleased to empanel M/s. Palepu Pharma Pvt Limited for supply of Medicines on credit basis, based on prescription from Medical Officers at CSIR- CLRI for medicines not available at CSIR-CLRI Dispensary.

Price : 22% Discount on MRP.

Logistics:

1. Medicines would be supplied at CSIR-CLRI Dispensary once in the morning and once in the evening.
2. Medicine would be sent by courier to the pensioner's registered address. On request of the pensioner it can be made available at the dispensary also. Pensioner's are to kindly update their correct address with the Dispensary.
3. The contract has provision to courier medicine for staff members on request by Medical Officer in cases of need and emergency.
4. The contract has also provision for supply of medicines on emergency requirement at dispensary.

Payment: Invoices pertaining to Staff Member's for medicines not available in the dispensary would be processed by SO (E-III) and for Pensioner's would be processed by Purchase Section.

य. आर. डी.
(M R DEVASIS)
STORES & PURCHASE OFFICER
3/7/2018

To

1. Purchase Committee - Chairman
2. Head, Medical Committee - Chairman
3. COFA
4. PS to Director
5. AO
6. SO (E-III)
7. SO (P)
8. SO (S)
9. All Medical Officers
10. CSIR-CLRI Pensioner's Association



दूरभाष Telephone : 91 - 44 - 24437162, 24910774

फैक्स FAX : 91-44 -24455926, 24911589, 24912150

ई-मेल Email : spo@clri.res.in

No: 13(62)/2018/Pur

Date: 03.07.2018

परिपत्र


सीएसआईआर-सीएलआरआई के निदेशक, संस्थान के चिकित्सालय में अनुपलब्ध औषधों के लिए सीएलआरआई-सीएलआरआई के चिकित्सा अधिकारियों के नुस्खे के आधार पर औषधियों की आपूर्ति क्रेडिट पर करने के लिए पलेपू फॉर्मा प्राइवेट लिमिटेड को सूचीबद्ध किया है।

दर : MRP पर 22% छूट

प्राचलन पद्धति :

1. सीएलआरआई-सीएलआरआई, चिकित्सालय में औषधियों की आपूर्ति प्रातः एक बार और शाम को एक बार की जाएगी।
2. पेंशनरों के लिए औषधियां उनके पंजीकृत पते पर कूरियर किए जाएंगे। पेंशनरों के लिए अनुरोध पर चिकित्सालय में भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पेंशनरों से अनुरोध है कि वे चिकित्सालय में अपना सही पता अद्यतन करें।
3. कॉन्ट्रैक्ट में आवश्यकता एवं आपातकाल में चिकित्सा अधिकारी के अनुरोध पर कर्मचारियों के लिए औषधियों को कूरियर करने का भी प्रावधान है।
4. कॉन्ट्रैक्ट में आपातकाल में औषधियों को चिकित्सालय में भी उपलब्ध किए जाने का प्रावधान है।

भुगतान - कर्मचारियों के लिए चिकित्सालय में अनुपलब्ध औषधियों की आपूर्ति से संबंधित इन्वाइसों का प्रकरण अनुभाग अधिकारी (E-III) द्वारा किया जाएगा तथा पेंशनरों के लिए प्रकरण क्रय अनुभाग द्वारा किया जाएगा।


(एम. आर. देवासिस)
भंडार एवं क्रय अधिकारी

सेवा में

1. क्रय समिति - अध्यक्ष
2. प्रमुख, चिकित्सा समिति - अध्यक्ष
3. वित्त एवं लेखा नियंत्रक
4. निदेशक के निजी सचिव
5. प्रशासन अधिकारी
6. अनुभाग अधिकारी (E-III)
7. अनुभाग अधिकारी (P)
8. अनुभाग अधिकारी (S)
9. सभी चिकित्सा अधिकारियों को
10. सीएसआईआर-सीएलआरआई पेंशनर असेसियेशन